

उत्तर प्रदेश जल निगम

दूरभाष -0522-2227903

फैक्स -0522-2275420

0522-2214963

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: /1003-2393-0101-निदेशक मण्डल-प्रथम बैठक-1.16/22.

दिनांक 15/08/2022

कार्यालय ज्ञाप

विभाग-अनुमन की अधिसूचना संख्या-800/79-वि-1-21-क-29-21, दिनांक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) अधिनियम-2021 निरत किया गया है। यथासंशोधित अधिनियम के प्राविधान के अनुसार जल निगम को कार्यालय उ०प्र० जल निगम(नगरीय) तथा कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) का रूप में पुनः-पुनः-विनियमित किया गया है।

उक्त के क्रम में नगर विकास (अनुभाग-03) विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या-1770/9-3-21-05सी/2021, दिनांक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम-2021 के प्राविधानों को दिनांक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया है।

उक्त के फलस्वरूप, दिनांक 05 जनवरी, 2022 को उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निदेशक मण्डल की सम्पन्न प्रथम बैठक के क्रम संख्या-0116 पर उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के वित्त एवं लेखा संवर्ग अन्तर्गत सृजित/आच्छादित पदों पर सीमावर्ती/संशोधित एवं उक्त पदों पर नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्तों का विनिमित्त किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही हेतु "उ०प्र० जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवाविनियमावली-2020" को नगर विकास (अनुभाग-03) विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2564/9-3-21-05सी/2021 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत पदों का समान रूप से विभाजित किये जाने सम्बन्धी किट नोट संशोधनों सहित यथावत् अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अन्वयान में "उ०प्र० जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवा विनियमावली-2020" को नगर विकास (अनुभाग-03) विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2564/9-3-21-05सी/2021 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 05 जनवरी, 2022 से यथावत् अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक-यथोक्त।

(अनिल कुमार)

प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, नगर विकास (अनुभाग-03) विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2564/9-3-21-05सी/2021 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय गुप्ता)

वित्त विश्लेषक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 2- सयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), उ०प्र० जल निगम(नगरीय)।
- 4- निदेशक, रा.एण्डडी.एस./एच.आर.डी./नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 5- सचिव(प्रशासन/व्यवस्था), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 6- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)। (क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से)
- 7- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)। (क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से)
- 8- प्रबन्धक(ई०डी०पी०सेल), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ को उ०प्र० जल निगम (लेखा कार्मिक) सेवाविनियमावली-2020 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त सेवाविनियमावली को उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने का कष्ट करें। (संलग्नक सहित)
- 9- सम्बन्धित मान्यता प्राप्त संगठन, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)।
- 10- गार्ड फाइल।

वित्त विश्लेषक

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-3
संख्या-2564/9-3-21-5सी/2021
लखनऊ, दिनांक: 16 सितम्बर, 2021

कार्यालय-झाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के बढ़े हुए कारोबार के कारण तथा राज्य में ग्रामीण जल सभरक्षण तथा शीतर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से 20प्र0 जल सभरक्षण एवं शीतर व्यवस्था अधिनियम, 1975 में संशोधन करते हुए विभागीय विभाग के अधिसूचना संख्या-800/79-वि-1-21-1-क-29-21, दिनांक 24.08.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश जल सभरक्षण एवं शीतर व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2021 निर्गत किया गया। यथासाक्षात् इस अधिनियम के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम का 20प्र0 जल निगम (नगरीय), 20प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन हो गया है। नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1770/9-3-21-05सी/2021, दिनांक 09.09.2021 द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को दिनांक 09.09.2021 से प्रवृत्त किया गया।

2- 30प्र0 जल निगम की परिसम्पत्तियों एवं ङायित्त्वों की रूपरेखा एवं विरंगतियों के विकारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या-1781/9-3-21-05सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 20प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में हुए विनिश्चय के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1792/9-3-21-05सी/2021, दिनांक 13.09.2021 द्वारा 20प्र0 जल निगम के क्षेत्रीय कार्यालय (जोन), मण्डल कार्यालय, खण्ड कार्यालय के 20प्र0 जल निगम (नगरीय)/20प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के मध्य किये गये अन्तिम विभाजन को एतद्द्वारा अन्तिम माना जावेगा।

3- लच्छम में संलग्नक के अनुसार संवर्गवार 20प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं (ग्रामीण) के मध्य सूचित पदों का भी अन्तिम रूप से विभाजन किया जाता है।


यपय उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य संचित,

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रातेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नमाभि गंगे एवं ग्रामीण पेयजलापूर्ति विभाग, 20प्र0 शासन।
2. प्रथम निदेशक, 20प्र0 जल निगम (नगरीय), 20प्र0 शासन।
3. प्रथम निदेशक, 20प्र0 जल निगम (ग्रामीण), 20प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मिजी सचिव, अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 20प्र0 शासन।
6. ग ई फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप संचित,

| क्र.सं. | विवरण | वर्गगत संख्या | | | सकल संख्या | सकल संख्या (द्वितीय) | |
|-------------------|-------|---------------|--------|-----|------------|----------------------|--------|
| | | पुरुष | स्त्री | कुल | | पुरुष | स्त्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| विद्यार्थी संख्या | 21 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| अध्यापक संख्या | 92 | 58 | 29 | 29 | 34 | 17 | 17 |
| अध्यापक संख्या | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 |
| अध्यापक संख्या | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| अध्यापक संख्या | 71 | 3 | 2 | 1 | 68 | 34 | 34 |
| अध्यापक संख्या | 80 | 8 | 4 | 4 | 72 | 36 | 36 |
| अध्यापक संख्या | 150 | 32 | 16 | 16 | 118 | 59 | 59 |
| अध्यापक संख्या | 398 | 35 | 18 | 17 | 383 | 182 | 181 |
| अध्यापक संख्या | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 |
| अध्यापक संख्या | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अध्यापक संख्या | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अध्यापक संख्या | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| अध्यापक संख्या | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| योग A | 2020 | 429 | 219 | 210 | 1591 | 796 | 795 |
| समूह B | | | | | | | |
| अध्यापक संख्या | 1452 | 50 | 25 | 25 | 1402 | 701 | 701 |
| अध्यापक संख्या | 7625 | 650 | 330 | 320 | 6975 | 3488 | 3488 |

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
सहायक प्राचार्य